FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सूरजगढ

प्रार्थना पत्र सं. 417 / 2021 अन्तर्गत धारा 212 RT ACt

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सूरजगढ **बनाम** अमर सिंह, उम्मेदसिंह, कल्याणसिंह, गुलाबसिंह वगै0 व अन्य शेष जमाबंदी अनुसार

आदेश दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
03.12.2021	यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार सूरजगढ (पैरोकार सरकार) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ ने अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुने जाने का निवेदन किया गया। पैरोकार सरकार तहसीलदार सूरजगढ को एक पक्षीय सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशी तक जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि हाल खसरा नम्बर 113, 116, 117, 390/103 रकबा 2.71 है0 कुल किता 1 वाके ग्राम मोरवा को **किसी दीगर व्यक्ति को रहन, बैय, बेचान या हस्तांतरण नही करे तथा मौके एवं राजस्व रिकार्ड** की यथास्थिति बनाये रखे। आदेश 39 नियम 3 सीपीसी की पालना सुनिश्चित करे। न्यायालय आवेदनकर्ता से यह अपेक्षा करता है कि वह विपरित पक्षकार को आदेश की प्रति धारा 61 एलआरएक्ट के अन्तर्गत सार्वजनिक स्थानो पर चस्पानगी एवं डूंडी पिटवायी जाकर तामिल करवायी जायें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनाक 10/12/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
10/12/21	पत्रावली पेश हुई। प्रतिवादीगण 01 लगा० 60 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामील पत्रावली किया गया पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 20/12/21 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
20/12/21	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन	

किया गया। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21/12/14 को पेश।

[signature]

21/12/14 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में आज आदेश सुनाया जाना नियत है। मूल वाद के निर्णय हो चुका है। अतः अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसला के मुताबिक होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़